

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग—८
संख्या ६१४/२०१७/९(१२०)/XXVII(८)/२०१७
देहरादूनः दिनांकः २७ जून, २०१७

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना रामीलीना है।

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और रोता कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की रिफारण के कम गें, माल की राज्य के भीतर पूर्तियों पर, जिनका वर्णन इस अधिसूचना से रांगना अनुरूपी के साथ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्कालीन प्रविधि में व्याविगतिष्ठ, व्यावरणिष्ठ, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अन्तर्गत आता है, उत्तराखण्ड माल और रोता कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्घटणीय रामूँ राज्य कर से छुट पदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

| क्रम सं० | अध्यायउपशीर्ष/शीर्ष/टैरिफ मद | माल का विवरण |
|----------|------------------------------|--|
| 1. | 0101 | जीवित, गधे, खच्चर और हिन्नी |
| 2. | 0102 | जीवित गोकुलीय प्राणी |
| 3. | 0103 | जीवित सुअर |
| 4. | 0104 | जीवित भेड़ और बकरे |
| 5. | 0105 | जीवित कुक्कुट अर्थात् गैलस घरेलू जाति के मुर्गे, बतख, हंस, टक्की और गोवि मुर्गे |
| 6. | 0106 | अन्य जीवित प्राणी जैसे स्तनपायी, पक्षी, कीट |
| 7. | 0201 | गोकुलीय प्राणी का मांस, ताजा और द्रुतशीतित |
| 8. | 0202 | गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 9. | 0203 | सुअर का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 10. | 0204 | भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 11. | 0205 | अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है। |
| 12. | 0206 | गोकुलीय प्राणी, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी के खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 13. | 0207 | शीर्ष ट का मांस और के कुक्कु 0105 खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या |

| | | |
|-----|------|--|
| | | हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है। |
| 14. | 0208 | अन्य मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या डिग्रीतोत [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है। |
| 15. | 0209 | चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुवकुट वरा, आपारेक्टा या निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है। |
| 16. | 0209 | चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुवकुट वरा, आपारेक्टा या निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धूमित [डिग्रीतोता से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है। |
| 17. | 0210 | मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण, जल में रखा, शुष्कित या धूमित, मांस या मांस अवशिष्ट, से भिन्न इकाई आधान में रखे जाएंगे |
| 18. | 3 | मछलीबीज, झींगातझींगी बीज जो पृसंस्कृ, संसाधित या डिग्रीतोता अवस्था में हैं या नहीं [अद्याय 3 के अंतर्गत आने वाले ऐसे मालों से भिन्न, जिन पर प्रतिशत कर लागू है 2.5] |
| 19. | 0301 | जीवित मछली |
| 20. | 0302 | मछली, ताजी या द्रुतशीतित, जिसके अंतर्गत शीष के मछली कतले 0304 मछली मांस नहीं हैं और अन्य |
| 21. | 0304 | मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे टुकड़े किया गया या नहीं), ताजी या द्रुतशीतित |
| 22. | 0306 | क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी या द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया कवच युक्त, जो भापन या जल में उबालकर पकाई गई है, जीवित, ताजी या द्रुतशीतित |
| 23. | 0307 | मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं जीवित, ताजी, द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित |
| 24. | 0308 | क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित |
| 25. | 0401 | अल्ट्रा उच्च तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर ताजा दूध और पास्तुरीकृत दूध, जिसके अंतर्गत पृथक दूध, दूध और क्रीम हैं, जो सांद्रित नहीं हैं या जिसमें मिलाई गई चीज़ी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं हैं। |
| 26. | 0403 | दही; लस्सी छाँड़ |
| 27. | 0406 | छैना या पनीर, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो |
| 28. | 0407 | पक्षियों के अंडे कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए |
| 29. | 0409 | इकाई आधान में रखे गए से भिन्न, प्राकृतिक मधु जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो |
| 30. | 0501 | मानव केश, अकर्मित, चाहे धूले या अभिमानित हैं या नहीं; मानव केश के अपशिष्ट |
| 31. | 0506 | सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग क्रोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत, केवल |

| | | |
|-----|---------|--|
| | | निर्मित पचारित या अजिलेटिवीकृत अम्लो (आकार में आकौटीलैफॉन) हैं, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट |
| 32. | 90 0507 | सभी मात्र अर्थात् खुर अवचूर्ण; सींग अवचूर्ण ; खुर, नखर, नख, और गोव, मृगशश्रृंग; आदि |
| 33. | 0511 | शुक्र जिसके अंतर्गत हिमशीतित शुक्र भी है |
| 34. | 6 | जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, कंद, जड़ और वैसी ही चीजें ; कीटोत पूष्प और अलंकृत पर्ण समूह |
| 35. | 0701 | आलूताजे या द्रुतशीतित |
| 36. | 0702 | टमाटरताजे या द्रुतशीतित |
| 37. | 0703 | प्याज, शैलट, लहसुन, लीक और अन्य लशुनी वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित |
| 38. | 0704 | बंदगोभी, फूलगोभी, कोहल्बी, केल और उसी प्रकार के खाद्य वेरिका, ताजे या द्रुतशीतित |
| 39. | 0705 | लेट्यूस (साइकोरियम सभी जातियां) और कासनी (का सैटाइवालैयट्) ताजे या द्रुतशीतित |
| 40. | 0706 | गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, सेलसिफी, सेलेरिएक मूली और वैसी () खाद्य जड़े ताजी या द्रुतशीतित |
| 41. | 0707 | खीरादि और घेरकिन, ताजे या द्रुतशीतित |
| 42. | 0708 | कवचयुक्त या कवचरहित फलीदार वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित |
| 43. | 0709 | अन्य वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित |
| 44. | 0712 | शुष्क वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई या चूर्णित हैं, किन्तु और निर्मित नहीं हैं |
| 45. | 0713 | शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपारित हैं अथवा नहीं |
| 46. | 0714 | मेनिओक, अरारूट, सेलद, जेरूसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़े और कंद जिनमें स्टार्च या इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजे या द्रुतशीतित ; साबुदाने कापिथ |
| 47. | 0801 | नारियल, ताजे या शुष्कित चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं |
| 48. | 0801 | ब्राजील नटकवचयुक्त या छिलकारहित हैं या नहीं ताजे चाहे , |
| 49. | 0802 | अन्य दृढ़ फल ताजे, जैसे कि बादाम, हेजलनट या फिलबर्ट, कोरिअस सभी) (प्रजातियां, अखरोट, चेस्टनट (निया सभी जातियांकास्टा), एरिका नटस् ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं |
| 50. | 0803 | केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है, ताजे या शुष्कित |
| 51. | 0804 | छुहारा, अंजौर, अनानास, एवोकेडोज, अमरुद, आम और मैगोस्टीम, ताजे |
| 52. | 0805 | निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, रीन और जिसे अंतर्गत टेन्जे) (सटसूमसयी हैं; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू कुल नींबूनिम्बु), निम्बुकुल लिमोलमकुलनिम्बु) और लाइम (आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | लैटिफोलिया(, ताजे |
| 53. | 0806 | अंगूर, ताजे |
| 54. | 0807 | तरबूजादि और पपीते (जिसके अंतर्गत तरबूज है), ताजे |
| 55. | 0808 | सेब, नाशपती और मिवन्स, ताजे |
| 56. | 0809 | खुमानी, चैरी, आड़ु (जिसके अंतर्गत शफतातू है),आलू वृक्षारा और सली, ताजे |
| 57. | 0810 | अन्य फल जैस की स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, शहदूरा और लोगनबेरी, काली सफेद या लाल किशमिश तथा गूजबेरी, करोटा, विलबेरी, और वैक्सीनियम वंश के अन्य फल,कीवी फल, ड्यूरियन्स,परिमोरा, मानार, इमली, सपोटा,(चीकू) ,शरीफा (अटा), बोर, लीची, ताजे |
| 58. | 0814 | निम्बुकुल फल या तरबूजादि के छिलके (जिसके अंतर्गत तरबूज भी है), ताजे |
| 59. | 9 | बीज किस्म के सभी माल |
| 60. | 0901 | कॉफी बीन्स, अभर्जित |
| 61. | 0902 | चाय की अप्रसंस्कृत हरी पत्तियां |
| 62. | 0909 | सौंफ बड़ी ,बेडियन ,सौंफसफेद जीरा या काला जीरा के बीज ,धानगा .. हपुषा बेरी (की बीज क्वालिटी) |
| 63. | 10 11 0910 | ताजी अदरक, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न |
| 64. | 10 30 0910 | ताजी हल्दी, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न |
| 65. | 1001 | गेहूं और मेसलीन [उससे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 66. | 1002 | राई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 67. | 1003 | जौ [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 68. | 1004 | जई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 69. | 1005 | मक्का (कार्ने)[उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 70. | 1006 | चावल [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 71. | 1007 | ज्वारादि [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 72. | 1008 | कुट्टु, मिलेट और कैनेरी बीज ; अन्य धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, राणी [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 73. | 1101 | गेहूं या मेसलीन का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |

| | | |
|-----|------|---|
| 74. | 1102 | गेहूं या मेसलीन के आटे से भिन्न, धान्य आटा (मवका) आटा (गोली), रसुआटा, आदि] [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है। |
| 75. | 1103 | धान्य, दलिया, अवचूर्ण और गुटिका [उनसे भिन्न जिन्हें गिरो गूण आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है। |
| 76. | 1104 | धान्य दाना, तुष निकाले गए |
| 77. | 1105 | आलू का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है।] |
| 78. | 1106 | शीर्ष के 0713 शुष्कित फलीदार वनस्पतियों का आटा (दालों)। 1106 10 10 त से भिन्नके गवार गोंद परिष्कृ 90 10 1106 के गवार अवतृप्ती और, साबूदाने या दों अर्थात् के उत्पा 8 यशीर्ष की जड़ों या कंदों या आ०३० 0714 हल्दी, सिंगाड़े का आटा, आम का आटा आदि [उससे भिन्न जिरो गिरो यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है। |
| 79. | 12 | बीज क्वालिटी के सभी माल |
| 80. | 1201 | सोयाबीन, चाहे दूटी है अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 81. | 1202 | मूँगफली, जो भजित अन्यथा पकाई गई नहीं है, चाहे कवच रहित या दूष हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 82. | 1204 | अलसी, चाहे दूटी हुई अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 83. | 1205 | तोरिया या कोल्जा बीज, चाहे दूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 84. | 1206 | सूर्यमुखी के बीज चाहे दूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 85. | 1207 | अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल अर्थात् ताडफल और (गिरी), बिनौले, एरंड के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसंभम करथोगसा) बीज (टिंकटोरियस, खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजामरा, आगांगुठली, नाइजर बीज, कोकम(चाहे दूटे हों अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 86. | 1209 | बीज, फल और किसी प्रकार के बीजाणूजों वोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं |
| 87. | 1210 | हाप कोन, ताजे |
| 88. | 1211 | उस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग जिसके अंतर्गत बीज और फल भी) (हैं, जिनका उपयोग मुख्यतसामग्र सुगंध ती, फार्मेसी में या कीटनाशी, फॉंटीनाशी के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे या द्रुतशीतित |
| 89. | 1212 | लोकस्ट फलिया, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित |
| 90. | 1213 | धान्य पुआल और भूसी, अनिर्मित चाहे काटी हुई, दलित, दावित या गुटिका के रूप में है अथवा नहीं |
| 91. | 1214 | स्वीडन का शलजम, मंगोल्ड, चारे की जड़ें, सूखी घास, रिजका (फाअल्फा), क्लोवर, सेनफोइन, हरा चारा काले, ल्यूपिन, वैचिस और वैसा ही हरा चारा उत्पाद, चाहे वे गुटिका के रूप में हैं या नहीं |

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 92. | 1301 | लाख और शल्क लाख |
| 93. | 40 90 1404 | पान के पत्ते |
| 94. | 1701 या 1702 | सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़(गुड़) और पालीगोरा गुड़ सम्मिलित हैं |
| 95. | 1904 | फुला हुआ चावल, जो समान्यतमुरी के नाम से जात है ;,रापांडित या कटा हुआ चावल, जो समान्यतज्ञात है डा के नाम सेच्यू ;,रूखा चावल, जो समान्यतखोई के नाम से जात है ;,सूखा धान या चीड़ी गाथना गुड़ ये विलेपित चावल, जो समान्यत मुर्की के नाम से जात है, |
| 96. | 1905 | पापड़,चाहे किसी नाम से जात हो, सिवाय तब के जब उसे उपशोग के रूप दिए जाते हैं |
| 97. | 1905 | डबल रोटी (थाअन्य ब्रांडीकृत या) सिवाय तब के जब उसे उपशोग के रूप और पिज्जा ब्रेड के रूप में रखा जाता है । |
| 98. | 2106 | मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों जैसे धार्मिक रथालों पर दिखा जाने वाला प्रसाद |
| 99. | 2201 | जल [वातित,खनिज, शुद्धीकृत, आसवित, चिकित्रीय, आयुर्विक, वैदी, विषनिजीकृत और सीलबंद आधानों में विक्रय किए जाने वाले जल से भिन्न] |
| 100. | 2201 | गैर अल्कोहोली टोड़ी, नीरा, जिसके अंतर्गत खजूर और पाम नीरा भी है |
| 101 | 90 90 2202 | युनिट आधान में रखे हुए और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम वाले गुटु वारिगल जल से भिन्न |
| 102. | 2302,2304 ,2305 , 2306,2308,2309 | जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुम्फू खाद्य और पशु खाद्य,सूखी घास और पुआल, दालों का अनुप्ररक्ष और भूरी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक |
| 103. | 00 00 2716 | विद्युतीय ऊर्जा |
| 104. | 2501 | नमक, सभी किसिमों के [2501] |
| 105. | 2835 | भारतीय मानक विनिर्देश संख्या के अनुरूप पशु खाद्य ग्रेड का 5470/2002 (डीसीपी) टडाईकैलशियम फास्फे |
| 106. | 3002 | मानव रक्त और उसके संघटक |
| 107. | 3006 | सभी प्रकार के गर्भनिरोधक |
| 108. | 3101 | सभी माल और आर्गेनिक खाद [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 109. | 3304 | काजल [काजल पैसिल स्टिकों से भिन्न],कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आल्ता |
| 110. | 3825 | नगर पालिक अपशिष्ट, मल स्लज, नैदानिक अपशिष्ट |
| 111. | 3926 | प्लास्टिक चूड़ियाँ |
| 112. | 4014 | कंडोम और गर्भनिरोधक |
| 113. | 4401 | जलावन काष्ठ,इंधन काष्ठ |
| 114. | 4402 | काष्ठ चारकोल (जिसके अंतर्गत कोष या वृद्धफल चारकोल भी है), चाहे वह संपीड़ित है अथवा नहीं |

| | | |
|------|------------|--|
| 115. | 4907/4802 | न्यायिक, न्यायेतर स्टोप पेपर, न्यायालय फीस स्टोप, जब उनका सरकारी खजाने या सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रताओं द्वारा विक्रय किए जाएँ |
| 116. | 4907/4817 | डाक संबंधी मद्दे जैसे सरकार द्वारा विक्रीत लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि |
| 117. | 4907/48 | रुपये के नोट, जब उनका विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक को किए जाएँ |
| 118. | 4907 | चैक, खुली हुई या पुस्तक रूप में |
| 119. | 4901 | मुद्रित पुस्तकें, जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें भी हैं |
| 120. | 4902 | समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नियत कालिक पत्रिकाएं, चाहे चित्रान्वयिता हो भवनों नहीं या चाहे उनमें विज्ञापन सामग्री हो अथवा नहीं |
| 121. | 4903 | बालकोंके लिए चित्र, ड्राइंग या रंगकारी पुस्तकें |
| 122. | 4905 | सभी प्रकार के मानचित्र और जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके मानकीय एटलस, दीवारमानचित्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्रित |
| 123. | 5001 | रेशम कीट रखना, कोया |
| 124. | 5002 | अपरिष्कृत रेशम |
| 125. | 5003 | रेशम अपशिष्ट |
| 126. | 5101 | उन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं हैं |
| 127. | 5102 | सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं हैं |
| 128. | 5103 | उन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट |
| 129. | 52 | गांधी टोपी |
| 130. | 52 | खादी सूत |
| 131. | 5303 | जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युत्तित नहीं |
| 132. | 5305 | नारियल, कयर रेशे |
| 133. | 63 | भारतीय राष्ट्रीय ध्वज |
| 134. | 6703 | मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित |
| 135. | 40 00 6912 | मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप |
| 136. | 7018 | कांच की छूड़ियां, (धातु से बनी छूड़ियों के सिवाय बहुमूल्य) |
| 137. | 8201 | मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तिन, झाड़ समाकर्तिन, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार, जिनका कृषि, उदान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है |
| 138. | 8445 | अंबर चरखा |
| 139. | 8446 | हथकरघा (तन मशीनव्यू) |
| 140. | 8802 60 00 | अंतरिक्ष यान और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) यान प्रक्षेपण यान |
| 141. | 8803 | शीर्ष स के माल के पुर्जे 8801 0 |
| 142. | 9021 | श्रवण सहायिकी |
| 143. | 92 | देशीहस्तनिर्मित यादी यंत्र |
| 144. | 9603 | सरकंडे और फूल बहारी झाड़ से बने मोटे |

| | | |
|------|-------------|---|
| 145 | 9609 | स्लेट पैंसिलें और चाक स्टिक |
| 146 | 00 00 9610 | स्लेट |
| 147 | 9803 | यात्री सामान |
| 148 | अन्य अध्याय | <p>पूजा सामग्री, अर्थात् --:</p> <p>(एक) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलरी कंडी गाला, पंचमय गाम के गोवर, दण्डी जी दूध और दही का मिश्रण;</p> <p>(दो) पवित्रधागा (जो सामान्यतः यज्ञोपवीत के नाम से जात है),</p> <p>(तीन) लकड़ी के खड़ाऊं;</p> <p>(चार) पंचाभूत;</p> <p>(पाँच) धार्मिक संस्थाओं द्वारा विक्रीत भभूति;</p> <p>(छ.) अबांडीकृत शाहद (प्रस्तावित जी०एरा०टी० शू.४);</p> <p>(सात) दीये के लिए बाती,</p> <p>(आठ) रोली;</p> <p>(नौ) कलाता(रक्षासूत्र);</p> <p>(दस) चंदन टीका।</p> |
| 149. | - | राज्य सरकारसंघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न विस्तीर्णी दण्डी द्वारा लाटरी का पूर्ति, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी लाटरी की पूरी पर, जब इसकी पूर्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को की जाती है, समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर भुगता है। |

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए--

(एक) 'इकाई आधान' पद से कोई ऐसा पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरणार्थ टिन, केन वाक्स, जार, बोतल, थैला या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या जो ऐसे पैकेज पर उपदर्शित की गई है, रखने के लिए डिजाइन किया गया है।


(दो) "ब्रांड नाम" पद से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है।

(तीन) "रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम" पद से ऐसा ब्रांड नाम अभिप्रेत है जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

(चार) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(पॉच) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की घहली अनुसूची, जिसके माध्यम से अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के लिए विवरण के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।


2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।


(प्रमोद सिंह)
प्रमोद सिंह

सं0 ८/१८/२०१७/९(१२०)/XXVII(८)/२०१७तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने राज से संबंधित अधिनियम, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुडकी जिला हारेहार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित की इसे अराधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4— अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शारान।
- 5— एन०आई०सी०
- 6— गार्ड फाईल हेतु।

आशा रो

(अशा राऊट वरोला)
अनुरागिन

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun:: Dated:: 29 June, 2017
Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in continuation of the recommendations of the Council, is pleased to allow to exempt intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule appended to this notification, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the Uttarakhand Good and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017).

Schedule

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|-------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 0101 | Live asses, mules and hinnies |
| 2. | 0102 | Live bovine animals |
| 3. | 0103 | Live swine |
| 4. | 0104 | Live sheep and goats |
| 5. | 0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls. |
| 6. | 0106 | Other live animal such as Mammals, Birds, Insects |
| 7. | 0201 | Meat of bovine animals, fresh and chilled. |
| 8. | 0202 | Meat of bovine animals frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 9. | 0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 10. | 0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|-------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 11. | 0205 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 12 | 0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 13. | 0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 14. | 0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 15. | 0209 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 16. | 0209 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, salted, in brine, dried or smoked [other than put up in unit containers] |
| 17. | 0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal, other than put up in unit containers |
| 18. | 3 | Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%] |
| 19. | 0301 | Live fish. |
| 20. | 0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 |
| 21. | 0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled. |
| 22. | 0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh or chilled; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water live, fresh or chilled. |
| 23. | 0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled. |
| 24. | 0308 | Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled. |
| 25. | 0401 | Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, excluding Ultra High Temperature (UHT) milk |
| 26. | 0403 | Curd; Lassi; Butter milk |
| 27. | 0406 | Chena or paneer, other than put up in unit containers and bearing a registered brand name; |
| 28. | 0407 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked |
| 29. | 0409 | Natural honey, other than put up in unit container and bearing a registered brand name |
| 30. | 0501 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair |
| 31. | 0506 | All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products |
| 32. | 0507 90 | All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc. |
| 33. | 0511 | Semen including frozen semen |

| S. Nº. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|-------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 34. | 6 | Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage |
| 35. | 0701 | Potatoes, fresh or chilled. |
| 36. | 0702 | Tomatoes, fresh or chilled. |
| 37. | 0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled. |
| 38. | 0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled. |
| 39. | 0705 | Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium spp.</i>), fresh or chilled. |
| 40. | 0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled. |
| 41. | 0707 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled. |
| 42. | 0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled. |
| 43. | 0709 | Other vegetables, fresh or chilled. |
| 44. | 0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared. |
| 45. | 0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. |
| 46. | 0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled; sago pith. |
| 47. | 0801 | Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled |
| 48. | 0801 | Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled |
| 49. | 0802 | Other nuts, Other nuts, <u>fresh</u> such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus spp.</i>), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea spp.</i>), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola spp.</i>), Areca nuts, fresh, whether or not shelled or peeled |
| 50. | 0803 | Bananas, including plantains, fresh or dried |
| 51. | 0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh. |
| 52. | 0805 | Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkins and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresh. |
| 53. | 0806 | Grapes, fresh |
| 54. | 0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. |
| 55. | 0808 | Apples, pears and quinces, fresh. |
| 56. | 0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh. |
| 57. | 0810 | Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus <i>vaccinium</i> , Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh. |
| 58. | 0814 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh. |
| 59. | 9 | All goods of seed quality |
| 60. | 0901 | Coffee beans, not roasted |
| 61. | 0902 | Unprocessed green leaves of tea |
| 62. | 0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [of seed quality] |
| 63. | 0910 11 10 | Fresh ginger, other than in processed form |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|-------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 64. | 0910 30 10 | Fresh turmeric, other than in processed form |
| 65. | 1001 | Wheat and meslin [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 66. | 1002 | Rye [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 67. | 1003 | Barley [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 68. | 1004 | Oats [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 69. | 1005 | Maize (corn) [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 70. | 1006 | Rice [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 71. | 1007 | Grain sorghum [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 72. | 1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 73. | 1101 | Wheat or meslin flour [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]. |
| 74. | 1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin, [maize (corn) flour, Rye flour, etc.] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 75. | 1103 | Cereal groats, meal and pellets [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 76. | 1104 | Cereal grains hulled |
| 77. | 1105 | Flour, of potatoes [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 78. | 1106 | Flour, of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal 1106 10 10 and guar gum refined split 1106 10 90], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 79. | 12 | All goods of seed quality |
| 80. | 1201 | Soya beans, whether or not broken, of seed quality. |
| 81. | 1202 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality. |
| 82. | 1204 | Linseed, whether or not broken, of seed quality. |
| 83. | 1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality. |
| 84. | 1206 | Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality. |
| 85. | 1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (<i>Carthamus tinctorius</i>) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality. |
| 86. | 1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. |
| 87. | 1210 | Hop cones, fresh. |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|-------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 88. | 1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled. |
| 89. | 1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled. |
| 90. | 1213 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets |
| 91. | 1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets. |
| 92. | 1301 | Lac and Shellac |
| 93. | 1404 90 40 | Betel leaves |
| 94. | 1701 or 1702 | Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur) and Palmyra Jaggery |
| 95. | 1904 | Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki |
| 96. | 1905 | Pappad, by whatever name it is known, except when served for consumption |
| 97. | 1905 | Bread (branded or otherwise), <u>except</u> when served for consumption and pizza bread |
| 98. | 2106 | Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc. |
| 99. | 2201 | Water [other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed container] |
| 100. | 2201 | Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera |
| 101. | 2202 90 90 | Tender coconut water other than put up in unit container and bearing a registered brand name |
| 102. | 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309 | Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake |
| 103. | 2501 | Salt, all types |
| 104. | 2716 00 00 | Electrical energy |
| 105. | 2835 | Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002 |
| 106. | 3002 | Human Blood and its components |
| 107. | 3006 | All types of contraceptives |
| 108. | 3101 | All goods and organic manure [other than put up in unit containers and bearing a registered brand name] |
| 109. | 3304 | Kajal [other than kajal pencil sticks], Kumkum, Bindi, Sindur, Alta |
| 110. | 3825 | Municipal waste, sewage sludge, clinical waste |
| 111. | 3926 | Plastic bangles |
| 112. | 4014 | Condoms and contraceptives |
| 113. | 4401 | Firewood or fuel wood |
| 114. | 4402 | Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated |
| 115. | 4802 / 4907 | Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|-------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 116. | 4817 / 4907 | Government Treasuries or Vendors authorized by the Government Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government |
| 117. | 48 / 4907 | Rupee notes when sold to the Reserve Bank of India |
| 118. | 4907 | Cheques, loose or in book form |
| 119. | 4901 | Printed books, including Braille books |
| 120. | 4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material |
| 121. | 4903 | Children's picture, drawing or colouring books |
| 122. | 4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed |
| 123. | 5001 | Silkworm laying, cocoon |
| 124. | 5002 | Raw silk |
| 125. | 5003 | Silk waste |
| 126. | 5101 | Wool, not carded or combed |
| 127. | 5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed |
| 128. | 5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair |
| 129. | 52 | Gandhi Topi |
| 130. | 52 | Khadi yarn |
| 131. | 5303 | Jute fibres, raw or processed but not spun |
| 132. | 5305 | Coconut, coir fibre |
| 133. | 63 | Indian National Flag |
| 134. | 6703 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked |
| 135. | 6912 00 40 | Earthen pot and clay lamps |
| 136. | 7018 | Glass bangles (except those made from precious metals) |
| 137. | 8201 | Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry. |
| 138. | 8445 | Amber charkha |
| 139. | 8446 | Handloom [weaving machinery] |
| 140. | 8802 60 00 | Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles |
| 141. | 8803 | Parts of goods of heading 8801 |
| 142. | 9021 | Hearing aids |
| 143. | 92 | Indigenous handmade musical instruments |
| 144. | 9603 | Muddhas made of sarkanda and phool bahari jhadoo |
| 145. | 9609 | Slate pencils and chalk sticks |
| 146. | 9610 00 00 | Slates |
| 147. | 9803 | Passenger baggage |
| 148. | Any chapter | Puja samagri namely,- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagopavit); (iii) Wooden khadau; |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|-----------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | (iv) Panchamrit, (v) Vibhuti sold by religious institutions, (vi) Unbranded honey [proposed GST Nil] (vii) Wick for diya. (viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandan tika |
| 149. | - | Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be. |

Explanation:- For the purposes of this Schedule,-

- (i) The phrase "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package.
- (ii) The phrase "brand name" means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.
- (iii) The phrase "registered brand name" means a brand which is registered under the Trade Marks Act, 1999.
- (iv) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (v) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary